

18.04.2022:-आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी सुखमन्दर सिंह जरिये अधिवक्ता कुमारी निर्मला रानी द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी ठेके पर लेकर काश्त की थी वर्ष 2022 अप्रैल पर खत्म हो चुका इसलिए अब प्रार्थी उक्त वादीपत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहता। अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर वादी के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान अधिवक्ता कुमारी निर्मला रानी द्वारा की गई। वादी का उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। अतः वादीपत्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तस्वीज तकमील दाखिल दफतर हो ।

★

